

**माया सिंह एवं अन्य
बनाम
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य**
(सिविल अपील संख्या 2203/2025)
07 फ़रवरी 2025

[जे.के. माहेश्वरी और राजेश बिंदल, न्यायमूर्तिगण]

विचारणीय प्रश्न

यह वर्तमान अपील एक मोटर दुर्घटना मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 31.07.2019 के आक्षेपित आदेश विरुद्ध दायर की गई है। अधिकरण ने प्रतिकर की राशि ₹28,66,994 निर्धारित की। उच्च न्यायालय ने आश्रितों की गणना के लिए विभाजन पद्धति लागू की और प्रतिकर की राशि घटाकर ₹19,66,833 कर दी।

शीर्ष टिप्पणियां

मोटर वाहन दुर्घटना दावा – पीड़ित-मृतक को उल्लंघनकारी बस ने टक्कर मार दी थी – पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई – मृतक की आयु 57-58 वर्ष थी और वह बीएसएनएल में फोन मैकेनिक के रूप में कार्यरत था – अधिकरण ने प्रतिकर का आकलन ₹28,66,994/- किया – हालाँकि, उच्च न्यायालय ने मृतक के सेवाकाल और सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि को विभाजित करके आश्रितता की हानि के मद में प्रतिकर को कम कर दिया – उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रतिकर की कुल राशि ₹19,66,833/- थी – शुद्धता :

अभिनिर्धारित: अधिकरण ने मृतक की वार्षिक आय ₹4,57,000 मानते हुए आय की हानि के कारण प्रतिकर का आकलन किया 9 का गुणक लगाकर और व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक-तिहाई की कटौती लागू करके - उच्च न्यायालय ने विभाजन पद्धति लागू की - उच्च न्यायालय ने सरला वर्मा बनाम डीटीसी और सुमति बनाम मेसर्स नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामलों में निर्धारित सिद्धांतों पर विचार न करके गलती की है - सामान्यतः न्यायालयों और अधिकरणों को सरला वर्मा मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार गुणक लागू करना होता है - इससे कोई भी विचलन विशेष कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता को दर्शाता है - वर्तमान मामले में, विभाजन पद्धति लागू करते समय उच्च न्यायालय द्वारा कोई विशेष कारण दर्ज नहीं किया गया है न ही मामले के तथ्यों में कोई तथ्य है -

मृतक एक तकनीकी रूप से योग्य और स्वस्थ व्यक्ति था - वह सेवानिवृत्ति के बाद भी काम करता रहता - उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं और विधि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अधिकरण द्वारा विभाजन पद्धति को लागू किए बिना 9 के गुणक को लागू करते हुए आय की हानि के कारण प्रतिकर उस खाते पर सही गणना है - इसके अलावा, अधिकरण और उच्च न्यायालय प्रतिकर की गणना करते समय भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखने में विफल रहे थे - मृतक की आयु को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी 15% की दर से भविष्य की संभावनाओं का हकदार होगा - संपत्ति और अंतिम संस्कार के खर्च के कारण, उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक को दी गई ₹15,000/- की राशि विधि के अनुसार है - जहाँ तक संपत्ति के नुकसान का संबंध है, तीन दावेदार हैं, अर्थात् विधवा, एक पुत्र और एक पुत्री - वे संपत्ति के नुकसान के कारण प्रत्येक को ₹40,000/- की दर से प्रतिकर पाने के हकदार होंगे - इस प्रकार, अधिकरण के फैसले को संशोधित किया जाता है - अपीलार्थीओं को कुल ₹33,03,000/- के प्रतिकर का हकदार माना जाता है। [पैरा 11.1, 11.2, 11.5, 12.14]

न्यायिक निर्णय जिन पर बल दिया गया

सरला वर्मा बनाम डीटीसी 2009 आईएनएससी 506:[2009] 5 एससीआर 1098:(2009) 6 एससीसी 121, सुमति बनाम मेसर्स नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सिविल अपील संख्या 7729/2021, 15.12.2021 को निर्णीत:2022 एसीजे 1315, पुट्टम्मा एवं अन्य बनाम के. एल. नारायण रेड्डी एवं अन्य 2013 आईएनएससी 814 : [2013] 16 एससीआर 831 : (2013) 15 एससीसी 45 - पर भरोसा किया गया।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य 2017 आईएनएससी 1068: [2017] 13 एससीआर 100:(2017) 16 एससीसी 680 - संदर्भित।

कुंजी शब्दों (कीवर्ड) की सूची

मोटर वाहन दुर्घटना दावा; प्रतिकर; गुणक का अनुप्रयोग; विभाजन पद्धति; संपत्ति की हानि; अंतिम संस्कार व्यय; कंसोर्टियम की हानि; आय की हानि; भविष्य की संभावनाएँ।

मामल उत्पन्न अंतर्गत

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2203/2025

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर के दिनांक 31.07.2019 के निर्णय एवं आदेश से, एमए संख्या 568/2015

पार्टियों के लिए उपस्थिति

दिनेश कुमार तिवारी, संतोष कुमार त्रिपाठी, चंदन कुमार, सुश्री अनिता पांडे, राकेश रंजन, सुश्री जया कुमारी, अपीलार्थीओं के लिए अधिवक्तागण।

सुमित सिन्हा, श्रीमती अंजलि राजपूत, सोमनाथ प्रधान, अशोक आनंद, प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्तागण।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/ आदेश

निर्णय

राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति

1. अनुमति अनुदात की गई।
2. यह अपील उच्च न्यायालय द्वारा मोटर दुर्घटना मामले में दिनांक 31.07.2019 को पारित आक्षेपित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। अधिकरण ने विभिन्न शीर्षों में ₹28,66,994/- का प्रतिकर अधिनिर्णीत किया, साथ ही दावा याचिका दायर करने की तिथि से वसूली तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देने का आदेश दिया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए प्रतिकर घटाकर ₹19,66,833 कर दिया कि मृतक को केवल 2 वर्ष और सेवा में रहना था और उसके बाद वह सेवानिवृत्त हो जाता। आश्रितता की गणना के लिए विभाजन पद्धति लागू की गई।
3. अभिलेख पर तथ्य यह है कि 07.03.2014 को दोपहर लगभग 03.00 बजे, लक्ष्मण दास माहोर (मृतक) अपने बेटे जुगल किशोर के साथ बस में यात्रा कर रहे थे। बस से उतरने के बाद, वह सड़क पर चल रहे थे, तभी पंजीकरण संख्या MP-06/B-1725 वाली उल्लंघनकारी बस ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्भाग्य से, लक्ष्मण दास की दुर्घटनास्थल पर ही चोटों के कारण मृत्यु हो गई। अपीलार्थीगण मृतक के परिवार हैं, जिन्होंने प्रतिकर की मांग करते हुए दावा याचिका दायर की थी।
4. अधिकरण के समक्ष, उल्लंघनकारी बस के मालिक और चालक सेवा के बावजूद उपस्थित नहीं हुए, इसलिए उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रत्यर्थी/बीमा कंपनी ने अपीलार्थीगण के दावे को चुनौती दी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, बस चालक की उपेक्षा का प्रत्याख्यान और मृतक द्वारा अर्जित आय पर विवाद करना शामिल था।

5. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, अधिकरण ने प्रतिकर की राशि ₹28,66,994 निर्धारित की। इसका विवरण निम्नलिखित है :

शीर्ष	मुआवज़ा (₹)
आश्रित की हानि (₹4,57,000 x 9 x 2/3)	27,41,994
पत्नी को कंसोर्टियम की हानि	1,00,000
अंतिम संस्कार व्यय	25,000
कुल	28,66,994

7.5% प्रति वर्ष ब्याज सहित

6. अधिकरण के फैसले से व्यथित होकर, बीमा कंपनी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से इसे स्वीकार कर लिया और मृतक के सेवाकाल और सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि को विभाजित करके आश्रितता की हानि के शीर्ष में प्रतिकर को कम कर दिया। विधवा को देय कंसोर्टियम की राशि ₹1,00,000/- से घटाकर ₹40,000/- कर दी गई। उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रतिकर की कुल राशि ₹19,66,833/- थी। इसका विवरण इस प्रकार है:

शीर्ष	मुआवज़ा (₹)
वेतन (मार्च 2014 से दिसंबर 2015) – ₹39,500 x 22 महीने	8,69,000
वेतन (जनवरी 2016 से जुलाई 2016) – ₹42,500 x 7 महीने	2,97,500
पेंशन – ₹21,250 x 79 महीने	16,78,750
निर्भरता – 1/3 कमी	(-) 9,48,416
संपत्ति की हानि	15,000
अंत्येष्टि व्यय की हानि	15,000
कंसोर्टियम की हानि	40,000
कुल	19,66,833

7.5% प्रति वर्ष ब्याज सहित

7. उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, दावेदार इस न्यायालय के समक्ष हैं।

8. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदित किया कि उच्च न्यायालय ने आश्रितता की हानि के शीर्ष में उन्हें मिलने वाले प्रतिकर की राशि को कम करने में गंभीर त्रुटि की है। उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्ति पूर्व और सेवानिवृत्ति पश्चात की आय को विभाजित करने का एक नया तरीका अपनाया है, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थीओं को मिलने वाले प्रतिकर की राशि में काफी कमी आई है। अपीलार्थी, अधिकरण के मतानुसार, आय की हानि के कारण प्रतिकर के हकदार हैं और इसके अतिरिक्त, मृतक की आयु को ध्यान में रखते हुए भविष्य की संभावनाओं के आधार पर 15% की वृद्धि के भी हकदार हैं। अधिकरण ने परिवार को हुई आय की हानि का सही आकलन किया था लेकिन **राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य** में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय के अनुसार संपत्ति की हानि के कारण प्रतिकर देने में विफल रहा।
9. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदित किया कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रतिकर न्यायसंगत और उचित है। मृतक की आयु लगभग 58 वर्ष थी और वह अगले 02-03 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाता। उसके बाद, उसे वेतन नहीं, बल्कि पेंशन मिलती। यह उसके अंतिम वेतन का लगभग 50% होता। प्रतिकर की गणना सेवानिवृत्ति के बाद परिवार को हुए नुकसान के आधार पर की जानी चाहिए। सेवानिवृत्ति के बाद परिवार को होने वाला नुकसान मृतक की आय का नहीं, बल्कि पेंशन की राशि का हो सकता है। हालाँकि, प्रत्यर्थी ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि **प्रणय सेठी** (उपरोक्त) के अनुसार, अपीलार्थी भविष्य की संभावनाओं के कारण वृद्धि के हकदार होंगे और अन्य शीर्षों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रतिकर के भी हकदार होंगे।
10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना और पेपरबुक का अवलोकन किया।
11. जैसा कि अभिलेखों से स्पष्ट है, विचाराधीन दुर्घटना 07.03.2014 को हुई थी। मृतक को उल्लंघनकारी बस (पंजीकरण संख्या MP-06/B-1725) ने टक्कर मार दी थी। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसकी आयु 57-58 वर्ष थी और वह भारत संचार नगर लिमिटेड (संक्षेप में "BSNL") में टेलीफोन मैकेनिक के रूप में कार्यरत था। उसके परिवार में उसकी विधवा और चार बच्चे हैं। उसके दो बेटों को विधिक रूप से प्रतिकर पाने का अधिकार नहीं था क्योंकि वे मृतक पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं थे। वर्तमान अपीलार्थी, अर्थात् मृतक की विधवा, एक आश्रित पुत्र और एक पुत्री, प्रतिकर के वास्तविक दावेदार हैं। अभिलेखों में साबित आय ₹39,500/- प्रति माह

(₹4,74,000/- प्रति वर्ष) थी, जो आयकर की कटौती के बाद ₹4,57,000/- प्रति वर्ष थी। उपरोक्त तथ्यों के संबंध में कोई विवाद नहीं है। अधिकरण ने मृतक की वार्षिक आय को 9 के गुणक के रूप में लागू करके और व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक-तिहाई की कटौती करके आय की हानि के आधार पर प्रतिकर का आकलन ₹4,57,000/- पर किया।

11.1 उच्च न्यायालय ने विभाजन पद्धति लागू की। यह माना गया कि दुर्घटना में मृतक की मृत्यु के बाद उसे 22 महीने की अवधि के लिए ₹39,500/- वेतन मिलता। इसके बाद, उसे एक वेतन वृद्धि मिलनी थी, जिसे सेवानिवृत्ति से पहले 7 महीने और जोड़कर, उसे ₹42,500/- प्रति माह वेतन मिलता। इसके बाद, मृतक ₹21,250/- पेंशन का हकदार होता। इसके अनुसार प्रतिकर का आकलन किया गया। जहाँ तक कंसोर्टियम के प्रतिकर के नुकसान का सवाल है, अधिकरण ने ₹1,00,000/- का प्रतिकर अधिनिर्णीत किया था, जिसे घटाकर ₹40,000/- कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, संपत्ति के नुकसान के लिए ₹15,000/- की राशि दी गई। अंतिम संस्कार के खर्च के लिए दिया गया प्रतिकर ₹25,000/- से घटाकर ₹15,000/- कर दिया गया। अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत राशि ₹28,66,994/- के मुकाबले, उच्च न्यायालय ने प्रतिकर की राशि ₹19,66,833/- आंकी।

11.2 उच्च न्यायालय के विनिश्चय की जाँच से पता चलता है कि प्रतिकर में भारी कमी मृतक की आय पर 'विभाजन गुणक' लागू होने के कारण हुई है। हमारे विचार से, उच्च न्यायालय ने सरला वर्मा बनाम डीटीसी और सुमति बनाम मेसर्स नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामलों में निर्धारित सिद्धांतों पर विचार न करके गलती की है।

11.3 सुमति (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने एक ऐसी ही स्थिति पर विचार किया था। मृतक की आयु 54 वर्ष थी और वह चार वर्षों में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने वाला था जब यह घातक दुर्घटना घटी। उच्च न्यायालय ने मृतक के चार वर्षों की शेष अवधि के कुल वेतन और सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के वेतन के पचास प्रतिशत को मिलाकर प्रतिकर का आकलन किया। उच्च न्यायालय ने अधिकरण द्वारा निर्धारित ₹40,76,496/- के बजाय ₹25,25,000/- का कुल प्रतिकर देने का आदेश दिया। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दिया और कहा कि विभाजन गुणक तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि विशिष्ट कारण दर्ज न किए जाएं। यह राय निम्नलिखित थी:

“9. उच्च न्यायालय ने पुट्टम्मा एवं अन्य बनाम के. एल. नारायण रेड्डी एवं अन्य, के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए, बिना कोई विशेष कारण दर्ज किए, उक्त निर्णय के विपरीत, विभाजित गुणक लागू किया है। उच्च न्यायालय ने विभाजित गुणक केवल इस आधार पर लागू किया है कि दुर्घटना के समय मृतक की आयु 54 वर्ष थी और सेवाकाल केवल चार वर्ष का था। पुट्टम्मा एवं अन्य बनाम के. एल. नारायण रेड्डी एवं अन्य के मामले में, समान परिस्थितियों में, जहाँ उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकर के आकलन के लिए विभाजित गुणक का प्रयोग किया गया था, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए अपील स्वीकार कर ली है। पुट्टम्मा एवं अन्य बनाम के. एल. नारायण रेड्डी एवं अन्य के मामले के निर्णय का पैरा 66 इस अपील का निपटारा करने के लिए सुसंगत है। सुसंगत पैरा 66 इस प्रकार है:

“66. दावेदारों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपील में, उच्च न्यायालय ने उचित प्रतिकर तय करने के बजाय, प्रतिकर में मामूली वृद्धि की अनुमति दी। ऐसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने विभाजित गुणक की अवधारणा पेश की और बिना कोई कारण बताए, सरला वर्मा मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली गुणक प्रणाली से अलग हट गया। उच्च न्यायालय ने मृतक के वेतन में भविष्य में वृद्धि की संभावना के प्रश्न पर भी विचार नहीं किया है, हालाँकि उसने देखा कि मृतक 10 वर्षों से अधिक समय तक पेंशन योग्य सेवाओं में बना रहता। जब मृत्यु के समय मृतक की आयु 48 वर्ष थी, तो उसने सरला वर्मा मामले में किये गए विनिश्चय के अनुसार 13 के बजाय 10 का गुणक गलत तरीके से लागू किया। इस प्रकार, हम यह समझने में असफल रहे कि उच्च न्यायालय ने विभाजित गुणक को लागू करने का विकल्प क्यों चुना और 10 का गुणक क्यों लागू किया। इस प्रकार, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय का निर्णय विकृत है और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के विपरीत है और मृतक की भविष्य की संभावनाओं पर विचार न करने और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के विरुद्ध विभाजित गुणक पद्धति अपनाने के कारण इसे अपास्त किया जाना उचित है। हमारे उपरोक्त निष्कर्ष के अनुसार, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है। तदनुसार, हम आक्षेपित निर्णय को अपास्त करते हैं और मानते हैं कि दावेदार कुल 23,43,688 रुपये के प्रतिकर के हकदार हैं। उन्हें शिकायत याचिका दायर करने की तिथि से बढ़े हुए प्रतिकर पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी मिलेगा। प्रत्यर्थी-2 बीमा कंपनी को निर्देश दिया जाता है कि वह दावेदारों को उनके नाम से डिमांड ड्राफ्ट तैयार करके तीन महीने की अवधि के भीतर बढ़ा हुआ/अतिरिक्त प्रतिकर और ब्याज का भुगतान करे।”

उपरोक्त निर्णय को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि सामान्यतः, **सरला वर्मा** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार, प्रतिकर की गणना गुणक लागू करके की जानी चाहिए। विभाजित गुणक तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि विशिष्ट कारण दर्ज न किए जाएं। उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि मृतक की केवल चार वर्ष की सेवा शेष थी, प्रतिकर के आकलन के लिए विभाजित गुणक लागू करने के लिए एक विशेष कारण नहीं माना जा सकता। सामान्यतः, प्रतिकर का आकलन इस न्यायालय द्वारा **सरला वर्मा** के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार गुणक लगाकर किया जाना चाहिए। चूँकि विभाजित गुणक लागू करने के लिए कोई अन्य विशेष कारण दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए उच्च न्यायालय का निर्णय अधिकरण के अधिनिर्णय को बहाल करके अपास्त करने योग्य है।”

(जोर दिया गया)

11.4 **सरला वर्मा के मामले** (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने माना है कि प्रतिकर की गणना करते समय, उपयोग किए जाने वाले गुणक की शुरुआत 18 के प्रचालन गुणक (15 से 20 और 21 से 25 वर्ष की आयु समूहों के लिए) से होनी चाहिए, जिसे प्रत्येक पाँच वर्ष के लिए एक इकाई से कम किया जाना चाहिए, अर्थात् 26 से 30 वर्ष के लिए M-17, 31 से 35 वर्ष के लिए M-16, 36 से 40 वर्ष के लिए M-15, 41 से 45 वर्ष के लिए M-14, और 46 से 50 वर्ष के लिए M-13, फिर प्रत्येक पाँच वर्ष के लिए दो इकाइयों से कम किया जाना चाहिए, अर्थात् 51 से 55 वर्ष के लिए M-11, **56 से 60 वर्ष के लिए M-9**, 61 से 65 वर्ष के लिए M-7 और 66 से 70 वर्ष के लिए M-5।

11.5 उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि सामान्यतः न्यायालयों और अधिकरणों को इस न्यायालय द्वारा **सरला वर्मा** (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार गुणक लागू करना होता है। इससे कोई भी विचलन होने पर विशेष कारण दर्ज किए जाने की आवश्यकता होती है। इस मामले में, न तो उच्च न्यायालय द्वारा विभाजन पद्धति लागू करते समय कोई विशेष कारण दर्ज किया गया है और न ही हम पाते हैं कि मामले के तथ्यों में कोई विशेष कारण है। इस मामले में, मृतक एक तकनीकी रूप से योग्य व्यक्ति था और लोग आमतौर पर उस उम्र में स्वस्थ होते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद भी काम करना जारी रखते हैं।

12. उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं और विधि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में, आय की हानि के कारण अधिकरण द्वारा विभाजन पद्धति को लागू किए बिना 9 का गुणक लागू करते हुए प्रतिकर देना, उस हिसाब से सही गणना है। इसके अलावा, अधिकरण और उच्च न्यायालय, प्रतिकर की गणना करते समय भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखने में विफल

रहे। मृतक की आयु को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी 15% की दर से भविष्य की संभावनाओं का हकदार होगा। संपत्ति के नुकसान और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई ₹15,000/- की राशि, प्रत्येक के लिए, विधि के अनुसार है। जहाँ तक कंसोर्टियम की हानि का सवाल है, तीन दावेदार हैं, अर्थात् विधवा, एक पुत्र और एक पुत्री। वे कंसोर्टियम की हानि के लिए ₹40,000/- प्रति व्यक्ति प्रतिकर के हकदार होंगे। अधिकरण ने कुल मिलाकर केवल ₹1,00,000/- की राशि अधिनिर्णीत करने में भूल की थी।

13. हमारी उपरोक्त चर्चाओं के अनुसार, अपीलार्थी जिस प्रतिकर के हकदार होंगे, वह नीचे दी गई गणना के अनुसार है:

शीर्ष	मुआवज़ा (₹)
आश्रित की हानि (₹4,57,000 x 9 x 2/3 x 115/100)	31,53,300
कंसोर्टियम की हानि (₹40,000 x 3)	1,20,000
अंतिम संस्कार व्यय	15,000
संपत्ति की हानि	15,000
कुल	33,03,300

14. उपर्युक्त कारणों से, वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। अधिकरण के अधिनिर्णय को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। अपीलार्थी कुल ₹33,03,000 (पूर्णांकित) प्रतिकर के हकदार माने जाते हैं। वे अधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज के भुगतान के हकदार होंगे।
15. लंबित आवेदन (यदि कोई हो) का निपटारा कर दिया जाएगा।
16. मामले का परिणाम: अपील स्वीकार की गई।

(अनुवादक- विशाखा सिंह अहिरवार)